



प्रेस नोट
थाना बालैनी

दिनांक 21.07.2022

थाना बालैनी पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 100/2022 धारा 354/452 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बालैनी पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 100/22 धारा 354/452 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1- अंकुर पुत्र लटूर सिंह निवासी ग्राम मंवीकला थाना बालैनी जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री धनवीर सिंह थाना बालैनी ।

2-का0 884 सर्जन सिंह चाहर थाना बालैनी ।